

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
क्रमांक/भू.अ./2025/567

दिनांक 28/4/25

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. नारणाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी सोनाणियो का तला, गुमाने का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. गंगाराम पुत्र इजताराम 2. अमेदा 3. नरपत पि. धना जाति सुथार 4. कुम्पाराम पुत्र घमुराम 5. चुनीदेवी पत्नि घमुराम 6. जोगाराम 7. भंवराराम 8. हीराराम पि. घमुराम 9. नीम्बाराम पुत्र सोनाराम 10. मूली पत्नि सोनाराम जाति जाट निवासी सोनाणियो का तला, गुमाने का तला तहसील चौहटन 11. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 306/2024

दिनांक 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला मौजा सोनाणियो का तला के खेत खसरा सं. 225/22, 226/22 रकबा कमशः 5.3418, 5.4713 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रुबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/568 4071

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी नारणाराम पुत्र पूनमाराम।
3. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र इजताराम व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड-अधिकारी
चौहटन

दिनांक 28/04/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन